



मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(स.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, गीपाल-462 011

Tel. No.: (O) 0755-2572207, (F) 2573396 E-mail: ceomprda@gmail.com

गीपाल, दिनांक 02.07-2018

क्रमांक : 14/63/22/वि-12/शा.क.जा./दि.प्रा.18

प्रति

महाप्रबंधक (समस्त),

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,

परियोजना कियान्वयन इकाई,

.....(स.प्र.)

विषय :-ई-मार्ग पर डाटा एण्ट्री सुधार हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही हेतु स्थाई व्यवस्था ।

विषयगतगत ई-मार्ग पर डाटा सुधार एवं अन्य तकनीकी कठिनाईयों के संबंध में इकाईयों से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इन आवेदनों को निच निच को प्रेषित करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक संशरण को अधिकृत किया जाना है। निच निच को प्रकरण प्रेषित करते हुए, निम्नानुसार उल्लेखित प्रक्रिया का पालन किया जावेगा :-

स.क्र	प्रकरण	प्रक्रिया
1	डाटा सुधार - तंबाई, ट्रेडिक कर्ष एवं डाटा एण्ट्री संबंधित अन्य विन्दु	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन मुख्य महाप्रबंधक संशरण को प्रेषित किया जाएगा। महाप्रबंधक पीआरईयू द्वारा श्रुतिपूर्ण डाटा के कारण अतिरिक्त भ्रमान पर वर्सुली की कार्यवाही न करने पर संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही की जाएगी। इस हेतु मुख्य महाप्रबंधक(संशरण) द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
2	संविदाकार के नाम/वैन क्रमांक में परिवर्तन	<ul style="list-style-type: none"> इकाईयों द्वारा संविदाकार के नाम/वैन क्रमांक में सुधार संबंधित आवेदन वित्तीय सलाहकार को प्रस्तुत किए जाएंगे। परिष्कारण उचराल मुख्य महाप्रबंधक (T&EG) के आदेश उचराल निच को लेख किया जाएगा।
3	Reversal of voucher	<ul style="list-style-type: none"> इकाईयों द्वारा इस हेतु आवेदन मुख्य महाप्रबंधक(वित्त) को प्रस्तुत किया जाएगा। परीक्षण उचराल निच को इस हेतु लेख किया जाएगा। यदि आवश्यक है तो मुख्य महाप्रबंधक(वित्त), द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर इकाई के संबंधित अधिकारी के विरुद्ध श्रुति के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
4	Reversal of e Payment scroll	<ul style="list-style-type: none"> इकाईयों द्वारा इस हेतु आवेदन मुख्य महाप्रबंधक(वित्त) को प्रस्तुत किया जाएगा। परीक्षण उचराल निच को इस हेतु लेख किया जाएगा। यदि आवश्यक है तो मुख्य महाप्रबंधक(वित्त), द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर इकाई के संबंधित अधिकारी के विरुद्ध श्रुति के संबंध में मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन) द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

8/217
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

- 1 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., विद्यावल भवन, भोपाल (म.प्र.) - की और सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2 मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन/वित्त/पी.एम.जी.एस.वाय/T&EG/QC), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)
- 3 क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)
- 4 वितीय सलाहकार म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)
- 5 टास्क मैनेजर/मैनेजर आई.टी, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)

प्रतिलिपि-
 क्र: 14164 /22/वि-12/मासमा/संभारण/18

8/217
 (नीतेश व्यास)
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल
 भोपाल दिनांक 02/08/18

उपरोक्त तालिका के बिन्दु क्र. 1 से 5 के लिए NIC को लेख करते हुए प्रकरण की तकनीकी समिति के समक्ष पेशीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। बिन्दु क्र. 6 में उल्लिखित परिस्थिति में मुख्यालय तकनीकी समिति के अग्रिमोदन के उपरान्त NIC को लेख किया जाएगा।

क्र.सं.	प्रकरण	प्रक्रिया
5	Post 5 year maintenance में किसे 5 वर्ष पूर्ण न होने पर भी 10 year Post maintenance Renewal कराने हेतु	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन मुख्य महाप्रबंधक संभारण को प्रेषित किया जाएगा। मुख्यालय की तकनीकी समिति के अग्रिमोदन उपरान्त एन.आई.सी को लेख किया जाएगा।
6	विधि (उपरोक्त उल्लिखित बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य प्रकरण)	<ul style="list-style-type: none"> आवेदन मुख्य महाप्रबंधक संभारण के प्रस्ताव पर मुख्यालय की तकनीकी समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा एवं आवश्यक होने पर NIC को लेख किया जाएगा।